

आदेश की क्रम
संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
दिनांक तारीख
सहित

1

2

3

09.09.2011

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या-203/10

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)

1. चन्देश्वरी उरांव, पिता-स्व0 महादेव उरांव

~~2. स्व0 लालदेव उरांव, पिता-स्व0 महादेव उरांव~~

3. मानिक उरांव, पिता-स्व0 महादेव उरांव

4. राजकुमार उरांव, पिता-स्व0 लालदेव उरांव

सभी का साकिन-माधोनगर कुकरण, थाना-भवानीपुर, प्रखण्ड-धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ.....
आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

आवेदक प्रायः बीमार रहता है और पुत्री की शादी भी करनी है। आवेदक को जमीन बेचने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आवेदक पिता से प्राप्त मौजा-लालगंज, थाना नं0-109, खाता नं0-953, खेसरा नं0-916, रकवा-1.05 एकड़, खेसरा संख्या-917, रकवा-0.97 एकड़ कुल-2.02 एकड़ जमीन बेचना चाहता है। इस जमीन को बेचने के बाद भी आवेदक को 2.09 एकड़ जमीन शेष बच जाता है। अतः आवेदक श्रीमान् से उपरोक्त जमीन को बेचने की अनुमति लेने के लिये श्रीमान् के न्यायालय में आवेदन दिया है।

अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रश्नगत जमीन आवेदक के पिता-स्व0 महादेव ³⁴³ मंडल के नाम से दर्ज है, जिसका जमाबन्दी संख्या-3842 है तथा लगान वर्ष 2010-11 तक भुगतान है। प्रश्नगत जमीन पर आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। आवेदकगण के पास उपरोक्त जमीन के बेचने के पश्चात भी 2.09 एकड़ जमीन बच जाता है। स्थानीय जाँच के कम में पता चला कि आवेदक वास्ताव में बीमार रहते हैं और पुत्री की शादी भी करनी है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को स्वयं ईलाज कराने एवं पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित स्व संशोधित।

समाहर्ता, पूर्णियाँ

समाहर्ता, पूर्णियाँ

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम
संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे
में तारीख
सहित

1

2

3